

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

सं०. 100/2017- सीमाशुल्क (गै० टै०)

नयी दिल्ली, दिनांक 27 अक्टूबर, 2017

सांका०नि०..... (अ).- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 की उप-धारा (1) के उप-वाक्य (कक) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क बोर्ड नीचे दी गयी सारणी के कालम (3) में दिये गए स्थानों को, जो कि राज्यों या संघ शासित क्षेत्रों में, जैसी भी स्थिति हो, उक्त सारणी के कालम (4) में उल्लिखित उद्देश्य के लिए तथा उक्त सारणी के कालम (2) में दी गयी तत्संबंधी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट 'एयर फ्रेट स्टेशन, के रूप में निर्दिष्ट करता है:-

सारणी

क्रम सं०	राज्य/ संघ शासित क्षेत्र	स्थान	उद्देश्य
(1)	(2)	(3)	(4)
1	नयी-दिल्ली	कापसहेड़ा	आयातित माल की उतराई और निर्यात माल की लदाई

[फा० सं० 434/13/2015- सीमाशुल्क IV]

जुबेर रियाज

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)

(जुबेर रियाज)

निदेशक (सीमाशुल्क)